संख्या- 61 /2026/ 493 /चार-2026-2003981

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 26 फरवरी, 2026**

विषय- भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 86वें एवं सचिवों के 62वें सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4319/सं0नि0-15(110)/2025-26, दिनांक 10 फरवरी, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशालय के पूर्व पत्र संख्या- 3901/सं0नि0-15(110)/2025-26, दिनांक 08 जनवरी, 2026 द्वारा भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 86वें एवं सचिवों के 62वें सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय व कार्यक्रम की अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय का विवरण सहित रू0 77.57 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था जिसके क्रम में शासनादेश संख्या- 21 /2026/ 171 (1) /चार-2026-2003981 दिनांक 19 जनवरी, 2026 द्वारा रू0 62.07 लाख (कलाकारों हेतु मंच, लाइट, साउण्ड इत्यादि तथा कलाकारों को कार्यक्रम स्थल पर बैकस्टेज पर होने वाला अनुमानित व्यय को छोड़कर) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त अवसर पर सेन्ट्रम होटल, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मंच, लाइट, साउण्ड आदि की व्यवस्था तथा कलाकारों को कार्यक्रम स्थल एवं पूर्वाभ्यास पर पर बैकस्टेज की व्यवस्था पर निम्नानुसार हुए व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0	विवरण	फर्म का विवरण	बिल संख्या/ दिनांक	व्यय धनराशि
1	मंच, एल0ई0डी0 वॉल, मंच सजावट आदि की व्यवस्था	मे0 एस-3 इन्फो मीडिया प्रा0 लि0, लखनऊ।	111/29.01.2026	12,95,695.00
2	पूर्वाभ्यास / कार्यक्रम स्थल पर कलाकारों को सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था	मे0 फिलिज इवेंट्स एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज लखनऊ	917/02.02.2026	76,200.00
योग (रू0 तेरह लाख इकहत्तर हजार आठ सौ पिचानबे मात्र)				13,71,895.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 86वें एवं सचिवों के 62वें सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए व्यय **रू0 13,71,895.00 (रूपये तेरह लाख इकहत्तर हजार आठ सौ पिचानबे मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -13- आजादी का अमृत काल महोत्सव - 42- अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या- 61 /2026/ 493 (1) /चार-2026-2003981 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in